

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
**पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल**

**प्रकरण क्रमांक L00-29/17**

मेसर्स नर्मदा इण्डस्ट्रीज,  
वर्तमान मेसर्स ट्रांसमिशन प्रा.लि.  
6/1, इण्डस्ट्रीयल एरिया,  
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

उप महाप्रबंधक  
शहर संभाग (पूर्व)  
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,  
भोपाल (म.प्र.)

— अनावेदक

**आदेश**

**(दिनांक 05.03.2018 को पारित)**

- 01 मेसर्स नर्मदा इण्डस्ट्रीज भोपाल द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के प्रकरण क्रमांक बी.टी. 06/2017 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 19.09.2017 प्रस्तुत किया गया है।
- 02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00-29/17 में दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया।
- 03 दिनांक 09.10.2017 को प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक की ओर से श्री एम.के. शर्मा उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री वासुदेव धनवानी, कार्यालय सहायक-3 उपस्थित हुए। अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सुनवाई की अगली तिथि नियत करने का अनुरोध किया। अनावेदक के अनुरोध पर सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 16.10.2017 नियत की गई।
- 04 **सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा निम्न बिन्दु उठाये गये —**  
अ आवेदक का विद्युत कनेक्शन का वर्ष 1998-1999 का आडिट वर्ष 2005 में हुआ था। सर्वप्रथम उप महाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड भोपाल ने पत्र क्रमांक ईई/सीडीई/पीयूआर/2011/5276-77 दिनांक 30.01.2013 जो दिनांक 25.07.2013 को प्राप्त हुआ। पत्र दिनांक 30.01.2013 द्वारा वर्ष 1998-99 की आडिट जॉच में 03-04/1998 से 08-09/1999 की अवधि में मीटर खराब होने से

रूपये 802240/- की अतिरिक्त राशि की मांग की गई जो कि घटना की अवधि के लगभग 15 वर्षों के पश्चात की गई। जिसका उत्तर आवेदक ने अपने पत्र क्रमांक एन.टी. पी.एल/2013-14/59 दिनांक 26.07.2013 द्वारा दिया गया।

- ब उपरोक्त वर्णित पत्र का उत्तर देने के पश्चात तत्समय संबंधित उप महाप्रबंधक से व्यक्तिगत सम्पर्क कर हमारे पत्र पर उचित कार्यवाही कर मांग वापसी की प्रार्थनी की गई। मांग वापसी की कोई कार्यवाही न होने पर हमने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष दिनांक 18.11.2013 को शिकायत प्रस्तुत की। जो फोरम का प्रकरण क्रमांक टी-21 दिनांक 29.11.2013 को रजिस्टर हुई।
- स आवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मांग उत्पन्न होने के दो वर्ष के अंदर ही वसूल की जा सकती है अर्थात् आडिट वर्ष 2005 में हुआ तो उसकी मांग वर्ष 2007 तक ही की जानी चाहिए थी। अतः जो मांग वर्ष 2013 में की गई वह आडिट होने के लगभग 8 वर्ष पश्चात, जो आडिट मांग विद्युत अधिनियम की वसूली के प्रावधानों के विरुद्ध की गई है वह वसूली निरस्ती योग्य है।
- द प्रकरण में आडिट टीम ने मीटर के बाक्स के ग्लास का क्रेक होना नवम्बर 98 में बताया है अर्थात् मीटर का ग्लास सही था। मीटर के बाक्स के ग्लास के क्रेक होने से संसय की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः मांग अनुचित एवं निराधार है जो निरस्त की जानी चाहिए।
- च प्रकरण में मीटर के बाक्स का क्रेक होना बताया गया है और इसी आधार पर मीटर को खराब बताकर अतिरिक्त मांग की गई है। यदि मीटर खराब था तो विद्युत निरीक्षक द्वारा चेक कराकर रिपोर्ट आनी चाहिए थी ऐसा नहीं हुआ और इसलिए मीटर को नहीं बदला गया। वही मीटर निम्नदाब के कनेक्शन के उच्चदाब में बदले जाने तक लगा रहा था। क्योंकि मीटर ठीक था अतः अतिरिक्त मांग निरस्त की जानी चाहिए।
- छ प्रकरण में मीटर बुक की प्रति पेज क्रमांक 8432 का अवलोकन करने पर यह मालूम होता है मीटर के बाक्स के ग्लास के क्रेक होने का रिमार्क 23.11.1998 को लिखा गया एवं उसके बाद रीडिंग दिनांक 26.12.1998, 28.01.1999, 19.02.1999 एवं 24.03.1999 तक लगातार ली गई तब तक मीटर ठीक था क्योंकि अधिक रही थी। जब 20.04.1999, 25.05.1999, 02.06.1999, 27.07.1999, 20.08.1999 को इसी मीटर से खपत कम आयी तो मीटर खराब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है ? या तो बाक्स के अधिक खपत दर्शाने पर ली गई अधिक राशि वापस होना चाहिए। यह धारणा कि जब मीटर ने अधिक खपत दर्शायी तो मीटर ठीक था और कम खपत दर्शायी तो मीटर खराब था न्यायोचित नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है कि जब उत्पादन हो रहा था तो विद्युत खपत अधिक हो रही थी और जब उत्पादन बंद था तो विद्युत खपत कम हो रही थी मीटर के बाक्स के ग्लास के क्रेक होने से मीटर की दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा एवं मीटर ठीक था अतः मांग निरस्त करने योग्य है।
- ज प्रकरण के संबंधित एडीशनल एस.ई. ने आडिट पेरा के जबाव में अपना अभिमत दिया है कि-

"In reply addl. SE City Dn. East Bhopal has stated that the billing raised for Rs. 8.02 lacs on accounting Box glass crack and low consumption is not justified as their business was dull and they already paid TMM and energy charges which was higher. Glass broken does not mean for lower consumption. The meter working is still OK as per reading by addl. SE. The HM issues should be withdrawn."

अतः यह कथन सिद्ध करता है कि मीटर ठीक था। इस आधार पर अतिरिक्त मांग होनी ही नहीं चाहिए थी।

- झ माननीय फोरम ने अपने प्रकरण क्रमांक टी-21 में विभिन्न दिनाकों को सुनवाई कर आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 26.03.2014 को आदेश पारित किया। जिसमें माननीय फोरम ने लिखा – **“फोरम निर्देशित (वित्त) द्वारा जारी पत्र जिसमें पुराने आडिट संबंधी प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसमें उच्च स्तरीय आडिट रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है का बिना पालन किये प्रकरण को लंबित रखने से उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के कारण महाप्रबंधक (शहर वृत्त) भोपाल को निर्देशित करता है कि वह तुरंत कार्यवाही करे उच्चस्तरीय आडिट रिव्यू कमेटी के निर्णय से असहमत होने पर उपभोक्ता के पास फोरम के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।”**
- ञ उपरोक्त आदेश का एक लम्बे समय तक पालन न होने या उच्च स्तरीय रिव्यू कमेटी का गठन न होने अथवा कमेटी का निर्णय न होने की स्थिति में आवेदक ने माननीय विद्युत लोकपाल भोपाल के समक्ष अपना आवेदन दिनांक 05.05.2014 को प्रस्तुत किया जो माननीय विद्युत लोकपाल का प्रकरण क्रमांक एल00-13/2014 रजिस्टर हुआ।
- च माननीय विद्युत लोकपाल ने दिनांक 07.06.2014 के आदेश में लिखा फोरम द्वारा उपभोक्ता से वसूल की कजाने वाली राशि उच्चस्तरीय आडिट रिव्यू कमेटी के निर्णय तक स्थगित किया है ऐसी स्थिति में फोरम के आदेश के पालन में दायित्व विद्युत वितरण कंपनी का है जब तक कंपनी आदेश का पालन नहीं करती तब तक विवादित राशि वसूल पाने का अधिकारी नहीं है।
- छ माननीय लोकपाल द्वारा उच्च स्तरीय रिव्यू कमेटी के गठन एवं कार्यवाही पर कोई निर्णय न दिये जाने से व्यथित होकर आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ में एक याचिका दायर की जो रिट पिटीशन क्रमांक डब्ल्यूपी-21/2015 द्वारा रजिस्टर हुई। जिसमें आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना की

"The Hon'ble may kindly be pleased to direct the Respondent M.P. Electricity Regulatory Commission to intimate the proceedings under section- 142 of Electricity Act 2003 read with Regulation 5-3 of MPERC (Establishment of Forum and Electricity ombudsman for Redressal of Grievance of the consumer) (Revision-1) Regulation, 2009, against the authorities of Respondent Electricity company, for delebrate non implementation of the orders passed by learned Electricity Forum and learned Electricity ombudsman .

ज माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ में सुनवाई एवं प्रकरण लंबित होने के समय उच्च स्तरीय रिव्यू कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया और हमें प्रबंधक (इण्डस्ट्रीयल जोन) म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड, भोपाल ने पत्र क्रमांक प्रबंधक/इण्डगेट/278-79 दिनांक 29.10.2015 एवं देयक क्रमांक 83/0456 के साथ भुगतान के लिए भेजा (एनेक्जर-8) लेकिन उच्च स्तरीय आडिट रिव्यू कमेटी के निर्णय की प्रति नहीं भेजी गई और कथित मांग को उचित ठहराकर भुगतान हेतु देयक भेज दिया गया।

**दिनांक 05.01.2017 सुनवाई के दौरान अनावेदक को निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण देने को निर्देशित किया गया था :-**

(अ) मीटर बॉक्स का कांच टूटने पर मीटर धीमा कैसे हो सकता है तथा उसमें खपत कम दर्ज कैसे हो सकती है, इसको स्पष्ट करें।

(ब) विद्युत अधिनियम, 2003 एवं विद्युत प्रदाय संहिता के किस प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता को कब औसत बिल किया जाता है, इसको स्पष्ट करें।

(स) कम खपत दर्ज होने पर क्या मीटर का परीक्षण किया गया तथा यदि किया गया तो क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

(द) हाई लेबिल कमेटी द्वारा किस आधार पर और किस मापदण्ड एवं किस नियम के प्रावधान के अनुसार आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी को उचित ठहराया गया, स्पष्ट करें।

**अनावेदक द्वारा उक्त निर्देश के परिपालन में दिनांक 15.02.2018 को निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया:-**

(अ) – मै0 नर्मदा इंडस्ट्रीज का वर्ष 1998-99 का ऑडिट पार्टी द्वारा वर्ष 2005 में ऑडिट किया गया था उस समय उपभोक्ता परिसर में इलैक्ट्रो मैकेनिकल/मैकेनिकल मीटर स्थापित थे एवं उक्त प्रकार के मीटरों में आमतौर पर चुम्बक के द्वारा की जा रही चोरी को पकड़ पाना आसान नहीं होता था जब तक की रंगे हाथो न पकड़ा जाए।

चूंकि नर्मदा इंडस्ट्रीज के परिसर में स्थापित मीटर बाक्स का कांच टूटा हुआ था तथा खपत में असाधारण गिरावट दर्ज हुई अतः इससे संशय की स्थिति निर्मित होती है, जिसे अंकेक्षण दल द्वारा उठाया गया था।

(ब) विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका – 8.35 की उप कंडिका – अ, ब, स, के अनुसार जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो या मुख्य मापयंत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। उक्त अवधि में औसत बिल किए जाने का प्रावधान है।

(स) कम खपत होने पर मीटर के परीक्षण के संबंध में दस्तावेज नस्ती में उपलब्ध नहीं हैं।

(द) प्रकरण उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखने पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपभोक्ता की पिछले माहों की खपत का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष फरवरी 1999 से मई 1999 की ऑडिट की जांच की गई । जांच के दौरान पाया गया कि मै0 नर्मदा इंडस्ट्रीज की वर्ष 1998-99 में 03.04.99 से 08.09.99 के बीच मीटर की दर्ज खपत कम पाई गई । इसके अलावा मीटर रीडिंग डायरी में रिमार्क कॉलम में 'बाक्स ग्लास क्रेक' उल्लेखित पाया गया । इस आधार पर ऑडिट ने मीटर को खराब मानकर पूर्व तीन माह के औसत खपत के आधार पर आवेदक को जारी कम बिल के अंतर की राशि का निर्धारण कर रू0 802240/- वसूली योग्य निकाली गई । समीक्षा समिति की बैठक में उप महाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व) द्वारा उपभोक्ता की उपलब्ध लेजर के अनुसार मार्च 2000 से मई 2000 एवं जनवरी 2001 से मार्च 2001 की खपत प्रस्तुत की गई जिसमें पाया गया कि उपभोक्ता की खपत अगस्त 1999 के पश्चात् भी काफी कम थी । पूर्व में खपत 42000 यूनिट प्रतिमाह की सीमा में थी जो बाद में घटकर 1700 यूनिट से 7200 यूनिट की सीमा में आ गई । खपत में इतनी भारी गिरावट एवं बाक्स के कांच के टूटे होने से संशय की स्थिति उत्पन्न होने के कारण समिति ने ऑडिट द्वारा निकाली गई राशि को सही एवं नियमानुसार तथा वसूली योग्य पाया गया एवं पुनः दिनांक 10.08.17 को उच्च स्तरीय समिति द्वारा उक्त निर्णय को उपलब्ध दस्तावेजों एवं मुख्य महाप्रबंधक के अभिमत के आधार पर उचित माना एवं पूर्व निर्णय यथावत रखा गया था, जिसको विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा भी दिनांक 30.08.2017 को पारित निर्णय में उचित ठहराया जाकर उक्त राशि वसूली योग्य मानी गई एवं उपभोक्ता का आवेदन निरस्त किया गया ।

5) दिनांक 15.02.18 को श्री ए.के. खत्री, मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र, श्री बी.के. सिन्हा, महाप्रबंधक शहर वृत्त भोपाल सुनवाई में उपस्थित हुए । सुनवाई के दौरान उनसे पूछा गया कि जब वे शहर वृत्त के अधीक्षण यंत्री पद पर पदस्थ थे तब उनके द्वारा आवेदक के विरुद्ध निकाली गई ऑडिट रिकवरी को उचित नहीं मानते हुए निरस्त करने की अनुशंसा की थी एवं जब वे पदोन्नत होकर मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र में पदस्थ हुए थे तब उनके द्वारा निकाली रिकवरी को उचित ठहराते हुए रिकवरी की मांग की गई । इस दोहरे मापदण्ड का आधार क्या है ? इस पर उनके द्वारा जवाब दिया गया कि चूंकि वर्ष 2015 में हाई लेबिल कमेटी द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका था, अतः उनके द्वारा उस निर्णय की पुष्टि हेतु ऑडिट रिकवरी को मान्य ठहराया । जब उनसे यह पूछा गया कि मीटर बॉक्स का ग्लास क्रेक होने से खपत कैसे कम हो सकती है तब इस संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हो सकता है कि आवेदक द्वारा हाई पावर चुम्बक का इस्तेमाल करके मीटर को धीमा किया गया हो ।

उपरोक्त दोनों उभयपक्षों के कथन एवं बहस के अवलोकन करने पर यह निम्न तथ्य सामने आते हैं:-

(1) आवेदक के विद्युत कनेक्शन के लेखा का वर्ष 98-99, का ऑडिट वर्ष 2000 में आंतरिक लेखा परीक्षण दल, जबलपुर द्वारा किया गया था (OE - 1) । जैसा कि पूर्व में ऑडिट वर्ष 2005 में बताया गया । ऑडिट दल द्वारा उपरोक्त ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 30.08.2000 को अधीक्षण यंत्री शहर वृत्त को भेजी गई तथा जिसकी प्रतिलिपि कार्यपालन निदेशक, भोपाल क्षेत्र, कार्यपालन यंत्री पूर्व संभाग भोपाल शहर तथा सहायक यंत्री पूर्व क्षेत्र को प्रस्तुत की गई थी । ऑडिट पार्टी द्वारा ऑडिट के दौरान दिए गए ऑफ मार्जिन (OE - 2) के उत्तर में अतिरिक्त महाप्रबंधक पूर्व संभाग द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि ऑडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी जो कि मीटर बॉक्स का ग्लास क्रेक होने के कारण खपत कम दर्ज होने के कारण निकाली गई है न्यायसंगत नहीं है । मीटर का ग्लास क्रेक होने के कारण खपत कम नहीं हो सकती है एवं वर्तमान में मीटर की कार्य प्रणाली ठीक है, इसलिए ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को वापस लिया जाना चाहिए ।

(2) अधीक्षण यंत्री शहर क्षेत्र द्वारा उनके पत्र (OE - 3) जो कि संयुक्त निदेशक वित्त, मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र को संबोधित है में भी बिन्दु क्रमांक - 3 में आवेदक के विरुद्ध ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को अतिरिक्त महाप्रबंधक पूर्व संभाग की अनुशंसा के आधार पर विलोपित किए जाने की अनुशंसा की थी । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (OE - 4) में नवम्बर 98 में मीटर बॉक्स का ग्लास क्रेक होने का रिमार्क दिया गया है एवं मीटर की वर्किंग कंडीशन के विरुद्ध फारवार्डेड होना लिखा पाया । उपरोक्त दस्तावेज का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि कहीं भी आवेदक द्वारा कृत्रिम साधन का उपयोग करके मीटर को धीमा करने का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रत्येक माह मीटर वाचन संबंधित सहायक यंत्री द्वारा की जाती रही है ।

(3) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (OE - 5) में उक्त मीटर जो कि ऑडिट पार्टी द्वारा धीमा मानते हुए रिकवरी निकाली गई है । आवेदक के परिसर में दिनांक 30.04.2001 तक लगा रहा तथा मीटर दिनांक 28.05.2001 को बदला गया तब तक मीटर में खपत को ठीक मानते हुए बिल जारी किए जाते रहे ।

(4) ऑडिट पार्टी द्वारा माह दिसम्बर 98, जनवरी 99 एवं फरवरी 99 में दर्ज खपत के औसत के आधार पर मार्च 99 से सितम्बर 99 अर्थात् 6 महीने की अवधि का औसत खपत के आधार पर बिल संशोधित 8.02 लाख की रिकवरी निकाली गई, जबकि नवम्बर 98 से ही इस मीटर का ग्लास क्रेक था, अर्थात् मीटर बॉक्स का ग्लास क्रेक होने की दशा में दर्ज अधिक खपत को सही माना गया तथा अप्रैल 99 से सितम्बर 99 तक दर्ज खपत को मीटर द्वारा कम खपत दर्ज करना बताकर रिकवरी निकाली गई है जो नियम के विरुद्ध है ।

(5) उक्त विवादित मीटर के बदलने की दिनांक 28.05.2005 के पश्चात् भी मई-जून-जुलाई में मीटर में खपत क्रमशः 8830 एवं जून 2001 में 7904, जुलाई 2001 में 26500 यूनिट दर्ज हुई है जो कि मार्च 99 से दिसम्बर 99 की खपत के अनुकूल है ।

इसके पश्चात् अगस्त, 2001 से नवम्बर 2001 तक मीटर में अधिक खपत दर्ज हुई है तथा पुनः दिसम्बर 2001 से मई 2002 तक कम खपत दर्ज हुई अर्थात् आवेदक के परिसर में विद्युत खपत में उतार-चढ़ाव आता रहा है जो निश्चित रूप से फेक्टरी में उत्पादन पर निर्भर करता है । आवेदक का कनेक्शन 2002 में उच्च दाब कनेक्शन में परिवर्तित कर दिया गया था ।

(6) उच्च स्तरीय समिति के दिनांक 12.03.2015 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के परिसर में विद्युत खपत कम दर्ज करने एवं मीटर बॉक्स का ग्लास क्रेक होने की दशा में समिति द्वारा संशय की स्थिति मानते हुए ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी सही एवं नियमानुसार मानी गई (OE - 6) । पुनः उच्च स्तरीय समिति की बैठक का निर्णय दिनांक 10.08.2017 के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि समिति द्वारा मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र द्वारा अनुशंसा के आधार पर (OE - 7) ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को उचित माना गया, जबकि मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र द्वारा इस संबंध में अपने पत्र (OE - 8) में यह स्पष्ट किया कि पूर्व उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.03.2015 को निर्णय लिया जा चुका है एवं ऑडिट रिकवरी को उचित माना है तथा मीटर बॉक्स ग्लास क्रेक होने के कारण संशय की स्थिति उपस्थित होती है, अतः ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी उचित है, जबकि मुख्य महाप्रबंधक जब अधीक्षण यंत्री शहर वृत्त के पद पर पदस्थ थे जब उनके द्वारा ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को उप महाप्रबंधक पूर्व संभाग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर वापस लेने की अनुशंसा की थी ।

(7) उच्च स्तरीय समिति की दोनों बैठकों में समिति में पदस्थ वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों द्वारा न तो आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बुलाया गया और न ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र जिसके द्वारा कम्पनी का टर्न ओवर चार्टर्ड एकाउण्ट से सत्यापित था, को देखा गया (OE - 9) । इस प्रमाण-पत्र को देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 में जिसमें कि उपरोक्त विवादित अवधि भी सम्मिलित है में टर्न ओवर पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहा है । इससे स्पष्ट है कि इस वर्ष कम्पनी द्वारा कम प्रोडक्शन होने से सेल (sale) कम हुई है, अर्थात् इस वर्ष प्रोडक्शन कम हुआ है तो निश्चित तौर से विद्युत खपत में भी गिरावट होना वाजिब है ।

(8) ऑडिट द्वारा वर्ष 1998-99 के लेखा का निरीक्षण वर्ष 2000 में किया गया, जिसकी रिपोर्ट 30.08.2000 को प्रस्तुत की गई है । आवेदक को प्रथम बार उक्त वसूली हेतु सूचना दिनांक 30.01.2013 को भेजी गई (OE - 10) जिसमें की अप्रैल 1999 से सितम्बर 1999 की अवधि में मीटर द्वारा ठीक से खपत दर्ज न करने के कारण औसत बिल, जिसमें कि सामान्य सेवाएं और शर्तों के अनुसार मीटर डिफेक्टिव होने के 3 माह

पूर्व अथवा डिफेक्टिव मीटर बदलने के बाद अगले 3 माहों की औसत बिलिंग करने का प्रावधान है, का उल्लेख किया गया है ।

(9) उपरोक्त नोटिस से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदक को वर्ष 2000 में हुए ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी की जानकारी प्रथम बार वर्ष 2013 अर्थात् 13 वर्ष के बाद दी गई । अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार यह राशि कालबाधित हो चुकी है ।

(10) आवेदक को अप्रैल 1999 से सितम्बर 1999 की अवधि के लिए पूर्व के 3 माहों की औसत खपत के आधार पर बिल किया गया है तथा इसके उपरान्त वही मीटर द्वारा दर्ज खपत को सही मानते हुए मीटर बदलने की तिथि 28.05.2001 तक बिलिंग की जाती रही अर्थात् संबंधित अधिकारी जो कि परिसर के निरीक्षण एवं मीटर की कार्यप्रणाली एवं रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था द्वारा मीटर को ना तो त्रुटिपूर्ण/डिफेक्टिव माना गया और ना ही उनके द्वारा किसी कृत्रिम साधनों से मीटर खपत कम करने का उल्लेख किया गया ।

(11) मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 का उल्लेख किया है कि जिसमें औसत बिल करने का प्रावधान दर्शाया गया है, किन्तु मुख्य महाप्रबंधक ने विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.16 से 8.19 में दिए गए प्रावधानों को नहीं देखा जिसमें उपभोक्ता को मीटर त्रुटिपूर्ण होने पर प्रयोगशाला में परीक्षण कराने का अधिकार दिया गया है । यदि अनावेदक द्वारा अगस्त 2000 ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन कण्डिकाओं के तहत कार्यवाही करता तो निश्चित रूप से प्रकरण का निराकरण नियम एवं विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता था, परन्तु आवेदक को 13 वर्ष तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई मौका न देकर एक पक्षीय कार्यवाही हाई लेबल कमेटी द्वारा की गई है जो कि किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है ।

(12) यह बहुत ही हास्यप्रद और विस्मयपूर्ण है कि कम्पनी स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति जो कि विवादित ऑडिट पैरा को सेटल करने हेतु गठित की गई है एवं जिसमें कि कम्पनी के वरिष्ठतम तकनीक अधिकारी शामिल हैं द्वारा निर्णय लेने से पूर्व ना तो आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बुलाया गया और ना ही उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । उनके द्वारा सिर्फ ऑडिट पार्टी जो कि गैरतकनीकी लिपिकीय वर्ग का दल है द्वारा मीटर बॉक्स क्रेक होने पर मीटर धीमा होना दर्शाते हुए निकाली गई रिकवरी को मान्य किया गया जबकि कम्पनी स्तर के तकनीकी अधिकारी जो कि उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग, मीटर परीक्षण एवं विद्युत चोरी के रोकने हेतु पदस्थ हैं, के द्वारा दिए गए रिमार्क ऑडिट द्वारा जारी हाई मार्जिन के जवाब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । यह तो और विस्मित करने वाला विषय है कि अधीक्षण यंत्री सिटी शहर द्वारा ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई एवं उसी अधिकारी द्वारा मुख्य महाप्रबंधक पद पर कार्यरत रहते हुए ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को मान्य करने की अनुशंसा उच्च स्तरीय कमेटी को



भेजी गई । उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी के वरिष्ठतम अधिकारी ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को विलोपित करने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे थे ।

**उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि:-**

(ए) नवम्बर 1998 से ही मीटर बॉक्स ग्लास क्रेक होने को देखते हुए नवम्बर 1998 से मीटर में कम खपत दर्ज होना माना जाना चाहिए था न कि अप्रैल 1998 के आगे। यदि मीटर खराब था तो उसे ऑडिट द्वारा खराब मानने पर उस मीटर का तुरन्त परीक्षण कराया जाना चाहिए था । जबकि उक्त मीटर परिसर में 25.08.2001 तक स्थापित रहा एवं उसमें दर्ज खपत के आधार पर ही आवेदक को बिलिंग किया जाता रहा ।

(बी) आवेदक के परिसर की रीडिंग अधिकारी द्वारा की जाती थी न कि संबंधित मीटर रीडर द्वारा तथा अधिकारी द्वारा ही मीटर बाक्स का ग्लास क्रेक होना नवम्बर 1998 में बताया गया एवं यह भी बताया गया कि मीटर बाक्स की सील ठीक है तथा मीटर की कार्य-प्रणाली भी ठीक है ।

(सी) तत्कालीन अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता शहर संभाग पूर्व भोपाल द्वारा भी ऑडिट द्वारा दिए गए हॉफ मार्जिन के उत्तर में स्पष्ट रूप से लेख किया गया है कि मीटर सही स्थिति में कार्य कर रहा था तथा इस संबंध में ऑडिट द्वारा निकाली गई राशि आधारहीन है जो वापस लिया जाना चाहिए ।

(डी) अनावेदक द्वारा ऑडिट की रिपोर्ट वर्ष 30.08.2000 को प्राप्त होने के पश्चात् 13 साल की अवधि के पश्चात् आवेदक को प्रथम बार ऑडिट रिकवरी रू0 8.02 लाख की रिकवरी हेतु नोटिस प्रेषित किया अर्थात् आवेदक को 13 वर्ष पश्चात् इसकी जानकारी दी गई । इस प्रकार आवेदक को समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई मौका ही नहीं दिया गया एवं आवेदक ने उपरोक्त विवादित मीटर 28.05.2001 को बदला गया तथा अक्टूबर के पश्चात् उसे मीटर में दर्ज खपत के अनुसार बिल जारी किए जाते रहे । उपरोक्त विवादित मीटर को निकालने के पश्चात् न तो मीटर का परीक्षण कराया गया और न ही कभी मीटर से छेड़छाड़ की गई है, इसके प्रमाण प्रस्तुत किए गए ।

(ई) दिनांक 28.05.2001 को मीटर बदलने के पश्चात् मई, जून-जुलाई में नए मीटर द्वारा भी खपत कम दर्ज की गई जो कि विवादित अवधि अप्रैल 1998 से सितम्बर 1999 की अवधि में दर्ज खपत से भी कम है ।

(एफ) चूंकि अनावेदक को ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2000 में ही प्राप्त हो गई थी, अतः ऑडिट द्वारा की गई आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के परिसर में लगाए गए मीटर को बदलकर उसका परीक्षण कराया जाना था तथा इस संबंध में आवेदक को समय पर सूचित किया जाना था, परन्तु अनावेदक द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिससे आवेदक समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका ।

(जी) मुख्य महाप्रबंधक का कथन है कि मीटर बॉक्स का ग्लास क्रेक करके आवेदक द्वारा हाई पावर चुक्बक रखकर मीटर को धीमा किया गया होगा केवल अनुमान पर

आधारित है, क्योंकि यदि आवेदक को हाई पावर चुम्बक रखकर मीटर में दर्ज होने वाली खपत को कम करना था तो उसे बॉक्स का कौच ब्रेक करने की क्या आवश्यकता थी आवेदक वैसे ही ग्लास पर चुम्बक रखकर मीटर द्वारा दर्ज खपत को धीमा कर सकता था ।

(एच) अनावेदक द्वारा आवेदक को 13 वर्ष के पश्चात् उक्त रिकवरी के संबंध में सूचना देने के कारण आवेदक को समय पर अपना पक्ष अथवा मीटर परीक्षण कराने हेतु अनावेदक से अनुरोध करने का मौका नहीं दिया गया । विद्युत प्रदाय संहिता, 2003 की कण्डिका 56/2 के दृष्टिगत भी यह वसूली कालबाधित हो चुकी है ।

(आई) अतः केवल ऑडिट द्वारा मीटर द्वारा कम खपत दर्ज करने के आधार को मीटर को त्रुटिपूर्ण माना जाना उचित नहीं है, क्योंकि अनावेदक कोई ऐसा दस्तावेज एवं मीटर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर सका जिससे सिद्ध हो सके कि मीटर आवेदक द्वारा कृत्रिम साधनों का उपयोग करके धीमा किया गया है । अतः ऑडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी निरस्त किए जाने योग्य है ।

**अतः आदेशित किया जाता है कि :-**

- (i) आवेदक के विरुद्ध निकाली गई रिकवरी को निरस्त किया जाए एवं आवेदक द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन उनके अगले मासिक विद्युत देयक में किया जाए ।
- (ii) फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है ।
- (iii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना-अपना वहन करेंगे ।
- (iv) आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो ।
- (v) आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल

